न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **83/14 (वाद)**

GCMS No. : 2014/00393

1. श्री देवीसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।

...........वादी

बनाम्

1. श्री रूकमणसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी गोडवा तह. मावली।
2. श्री प्रेमसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी गोडवा तह. मावली।
3. श्रीमती गुलाबकुंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी पनसिंह राजपूत निवासी सुखेर तह. बडगांव।
4. श्रीमती ईन्द्राकुंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी खुमाणसिंह राजपूत निवासी झाला का गुडा तह. गिर्वा।
5. श्री लालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी गोडवा तह. मावली।
6. श्री पनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी गोडवा तह. मावली।
7. श्री भेरूसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
8. श्री तखतसिंह पिता डुलेसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
9. श्री केसरसिंह पिता डुलेसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
10. सोवनकुंवर पिता डुलेसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
11. मु. हमेरबाई बेवा डुलेसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
12. श्री मनोहरसिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
13. श्री गजेन्द्रसिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
14. गमेरकुंवर पुत्री मानसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
15. गोपीकुंवर पुत्री मानसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
16. श्रीमती मेहताबबाई पत्नी मानसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
17. श्री सोहनसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
18. श्री विजयसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
19. श्री पृथ्वीसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
20. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

21. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कल्याणसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता वादी।
2. श्री जोधसिंह सारंगदेवोत, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 6
3. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 7 से 19

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.04.2023

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तुलसीदास जी की सराय की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 720 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5, 6 के नाम 2/15 हि.ब., प्रतिवादी सं. 7 के नाम 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 से 11 के नाम 1/5 हि.ब., प्रतिवादी सं. 12 से 16 के नाम 1/5 हि.ब. एवं वादी व प्रतिवादी सं. 17 से 19 के नाम 1/5 हिस्सानुसार अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 722 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम 1/45 + 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5, 6 के नाम 2/45 + 2/9 हि.ब., प्रतिवादी सं. 7 के नाम 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 से 11 के नाम 1/15 हि.ब., प्रतिवादी सं. 12 से 16 के नाम 1/15 हि.ब. एवं वादी व प्रतिवादी सं. 17 से 19 के नाम 1/15 हिस्सानुसार अंकित हैं। शेष हिस्सा अन्य के नाम दर्ज हैं।
2. यह कि पक्षकारान का सजरा खानदान इस प्रकार है :–

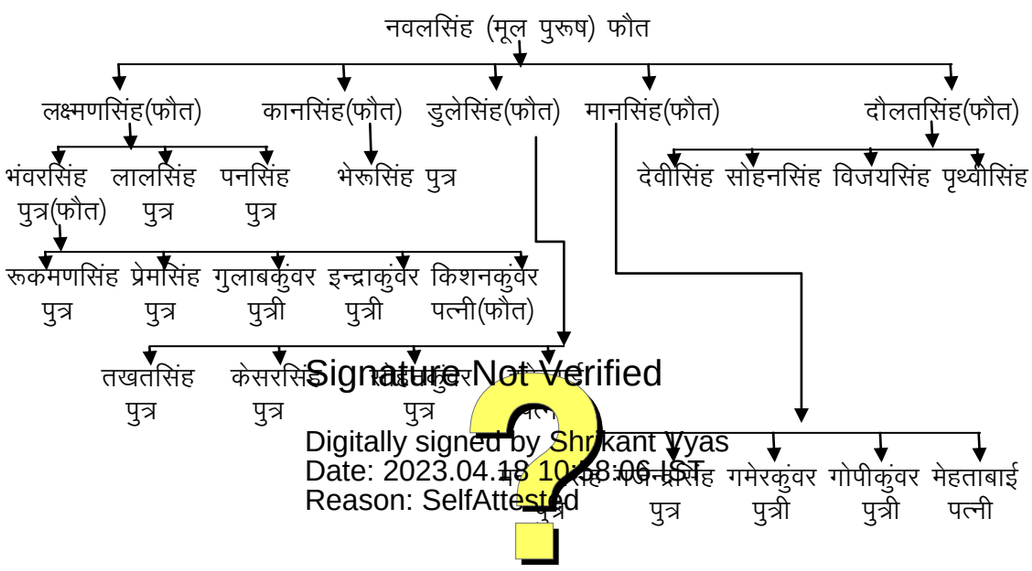

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:18:06 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि वाद में वर्णित कृषि भूमि जो पूर्व में हमारे मौरूस श्री नवलसिंह जी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा उनके निधनोपरान्त विरासत से उनके पांचो पुत्र लक्ष्मणसिंह, कानसिंह, डुलेसिंह, मानसिंह एवं दौलतसिंह को प्राप्त हुई लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा व हिस्सा नवलसिंह जी के चार पुत्र कानसिंह, डुलेसिंह, मानसिंह एवं दौलतसिंह का ही था और ये चारो ही पुत्र नवलसिंह जी के जीवनकाल से इस जमीन पर काबिज हो काश्त करते आ रहे थे तथा प्रतिवादी सं. 1 से 6 के मौरूस श्री लक्ष्मणसिंह जी स्वयं द्वारा उनका इन आराजीयात में हिस्सा नहीं होने एवं लक्ष्मणसिंह का नाम इन नम्बरो से खारिज करने बाबत् कथन भूप्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के फई इख्तलाफ इन्द्राज खसरा पर वर्ष 1966 में दर्ज करा अपनी अगुंष्ठ निशानी की है लेकिन तत्समय राजस्व अधिकारियों ने अपनी मनमानी करते हुए श्री लक्ष्मणसिंह का नाम उक्त आराजीयात से नहीं हटाया जिससे इन आराजीयात में लक्ष्मणसिंह जी का नाम अंकित रह गया है जबकि उक्त आराजीयात पर नवलसिंह जी के जीवनकाल से उनके चारो पुत्र कानसिंह, डुलेसिंह, मानसिंह, दौलतसिंह ही निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो काश्त आ रहे है तथा उनके मरने के बाद इनके वारिसान मैं वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 से 19 इस भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे हैं।

4. यह प्रतिवादी सं. 1 से 6 के मौरूस श्री लछमणसिंह जी द्वारा उनका इन आराजीयात से नाम हटाने का लिखित निवेदन तत्समय राजस्व अधिकारियों के समक्ष किया गया लेकिन राजस्व अधिकारियों ने उनका नाम नही हटाया जिससे जमीन लछमणसिंह के नाम पर अंकित रह गयी है तथा उनके मरने के पश्चात् उनके पुत्र भंवरसिंह, लालसिंह, पनसिंह ने अपने नाम दर्ज करा दी और भंवरसिंह के मरने के पश्चात् उसके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर अपने नाम दर्ज करा दी जबकि इस जमीन पर कभी भी लछमणसिंह या इनके वारिसान प्रतिवादी सं. 1 से 6 का कोई कब्जा अधिकार हक हिस्सा नहीं रहा है और इस भूमि पर गत 50 वर्षों से मैं वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 से 19 के पूर्वज का व उनके मरने के पश्चात् हमारा निरन्तर लगातार कब्जा निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक चला आ रहा है किन्तु वर्तमान में जमीन प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम [illegible] होने से प्रतिवादी सं. 1 से 6 अपने नाम पर दर्ज भूमि को [illegible] हो रहे है और प्रतिवादी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

से 6 हमे हमारे कब्जे काश्त की भूमियों से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है और भूमियों को विक्रय कर नाजायज लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को मै वादी व प्रतिवादी सं. 7 से 19 के खातेदारी हक की घोषित करा हमारे नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने के अधिकारी हैं। जिसके लिए उक्त वाद पत्र प्रस्तुत हैं।

5. यह कि मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 7 से 19 के पूर्वज व उनके मरने के बाद मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 7 से 19 का उक्त प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है और इस जमीन को काश्त योग्य बनाने में भी हमने व हमारे पिता ने हजारों रूपयों का खर्चा किया है और जमीन को उपजाऊ बनाकर आवादान की है तथा मौसमवार फसलों की पैदावार कर उपज लेते आ रहे हैं। उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 6 या इनके पूर्वजों का गत 50 वर्षों से कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है लेकिन उक्त भूमि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम पर दर्ज होने से वह उक्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है और भूमाफिया भी केवल रेकार्ड को देखकर ही रजिस्ट्री कराने पर तुले हुवे है और प्रतिवादीगण के मन में भी लोभ लालच की भावना जागृत हो गयी है और वे हमारे कब्जे काश्त की जमीन को पुनः दूसरे लोगों को बेचने पर आमादा है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं कि वाद में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 6 अपने नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, मुझ वादी को उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, कब्जा नहीं करे, बेदखल नहीं करे, हमारे शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे एवं मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

6. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज भूमि में किन्ही कारणों से हमारी खातेदारी में कोई अडचन उपस्थित होती है तो भी इस आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज भूमि पर हमारा व हमारे पूर्वज का कब्जा 50 वर्ष से भी ज्यादा समय से खुले रूप में शांतिपूर्वक लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार सहीत चला आ रहा है इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हम उक्त जमीन को अपने खाते कराने के अधिकारी हैं। चूंकि प्रतिवादीगण या इनके पूर्वजों का कब्जा गत 50 वर्ष से नहीं है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(1)(4) के अन्तर्गत उनकी खातेदारी तो स्वतः ही समाप्त हो गयी है और हम इसके खातेदार काश्तकार बन गये हैं।

7. यह कि मुझ वादी का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 से 6 के मौरूस द्वारा इस जमीन में उनका कोई हक हिस्सा नहीं होने का कथन किया है और जमीन हमारे मौरूस के नाम पर दर्ज करने का लिखित आवेदन भी किया था जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 से 6 या इनके मौरूस का इस जमीन में कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा हैं। ऐसी अवस्था में प्रतिवादी सं. 1 से 6 का किसी प्रकार का स्वत्व अधिकार नहीं है। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी सं. 1 से 6 को कोई क्षति या असुविधा नही होगी बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हमारे पक्ष में हैं।

8. यह कि वाद कारण दिनांक 18.03.2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं. 1 से 6 ने जमीन अन्य को बेचने की धमकी दी और हमारे कहने पर भी हमारे खाते कराने से इन्कार हो गये। इसलिए उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

9. अतः प्रार्थना है कि मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 17 से 19 को 1/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 7 को 1/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 8 से 11 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 12 से 16 को 1/4 हिस्सा का संयुक्त रूप से खातेदार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावें। मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि जो मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 7 से 19 के कब्जे काश्त की है इसका प्रतिवादी सं. 1 से 6 हमको शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, बेदखल नहीं करे, न कब्जा करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रतिवादी सं. 20, 21, 22 ताफैसला वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 6 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र के परिशिष्ट अ और परिशिष्ट ब में बताई मौजा तुलसीदास जी की सराय की आराजी नम्बर 720 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 722 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा स्थित होना और पक्षकारों के खातेदारी में अंकित होना स्वीकार। परिशिष्ट अ की भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 19 एवं वादी के खातेदारी में तथा परिशिष्ट ब की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 19 तथा भंवरसिंह, नाहरसिंह पिता किशोरसिंह, श्रीमती देऊकुंवर बेवा किशोरसिंह निवासी बिछडी, श्री भेरूसिंह, किशनसिंह, श्रीमती धापूबाई पिता सोहनसिंह, श्रीमती रतनबाई बेवा सोहनसिंह राजपूत निवासी बिछडी एवं श्री आनन्दकुमार पिता हेमराज जैन निवासी सविना, तहसील गिर्वा के खातेदारी में दर्ज हैं।

11. यह कि प्रतिवादीया सं. 16 श्रीमती मेहताब बाई का इस वाद की संस्थिति के पश्चात् देहान्त हो गया है। इसी प्रकार अंकित खातेदार श्रीमती किशनकुंवर बेवा भंवरसिंह राजपूत का भी देहान्त हो चुका हैं। प्रतिवादीगण 1 से 6 पक्षकारों के पूर्वज स्व. नवलसिंह के पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह के पुत्र स्व. श्री भंवरसिंह के पुत्र पुत्रीयां है इसलिए विरासत से प्रतिवादीगण 1 से 6 का नाम भी खतौनी में सही दर्ज चला आ रहा है। यह कथन भी अस्वीकार कि वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण 1 से 6 का कब्जा भुगत भोग नहीं है। यह कथन भी अस्वीकार है कि प्रतिवादीगण 1 से 6 का वादगत भूमि में हिस्सा नहीं हो। यह भी अस्वीकार कि प्रतिवादीगण 1 से 6 के पूर्वज स्व. लक्ष्मणसिंह ने अपना हिस्सा वादगत भूमि में नहीं होने का कथन भूप्रबन्ध विभाग में कर दिया हो। यह भी अस्वीकार कि किसी लिखतम पर उनकी अंगुष्ठ निशानी हो। वैसे भी स्व. लक्ष्मणसिंह ने अपनी भूमि अपने भाईयों को किसी भी प्रकार से कभी भी अन्तरित नहीं की हैं। वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण 1 से 6 का अपने हिस्से पर कब्जा भुगत हमेशा से है, आज भी हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

12. यह कि किसी भी राजस्व अधिकारी के समक्ष स्व. लक्ष्मणसिंह ने कोई आवेदन अपनी भूमि अन्य भाईयों के खातेदारी में दर्ज कराने का पेश किया हो वाद पत्र में किसी भी राजस्व अधिकारी का नाम अंकित नहीं है, न कोई तारीख ही बतायी हैं। वादगत भूमि पर स्व. लक्ष्मणसिंह जी का या उनके वारिस प्रतिवादीगण 1 से 6 का कब्जा स्व. नवलसिंह जी के जीवनकाल से अब तक निरन्तर चला आ रहा है। अपनी भूमि से लाभ प्रापत करने का प्रतिवादीगण 1 से 6 का अन्य खातेदारों की तरह पूरा अधिकार है जो वैद्यानिक हैं। प्रतिवादीगण 1 से 6 के हिस्से की भूमि का वादी या अन्य प्रतिवादीगण अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी नहीं हैं। वाद गलत किया है। स्व. नवलसिंह जी का देहान्त हुआ जिसके बाद विरासत से उनके पांचों पुत्र का नाम खतौनी में दर्ज हुआ उसके बाद स्व. लक्ष्मणसिंह जी का देहान्त हुआ जिनके बजाय उनके उत्तराधिकारी जो वंशावली में दर्ज है का नाम खतौनीयों में अंकित हुआ। इसके बाद लक्ष्मणसिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री भंवरसिंह का देहान्त हुआ जिस पर उनके उत्तराधिकारी का नाम खतौनी में दर्ज हुआ। यदि वादगत जमीन पर स्व. लक्ष्मणसिंह या उनके उत्तराधिकारीगण का हिस्सा एवं कब्जा नहीं होता तो वादी या उनके अन्य भाई न्यायालय में एतराज कर सकते थे परन्तु उन्होने कभी भी ऐसा एतराज नहीं किया हैं।

13. यह कि वादगत भूमि पर पक्षकारगण समस्त खातेदारों का कब्जा भुगत भोग हिस्से अनुसार चला आ रहा हैं। वादगत भूमि कृषि योग्य नहीं है जो गत सेटलमेन्ट के समय में भी नहीं थी और इस भूमि पर केवल बम्बूल के पेड जंगलनुमा खडे थे इस भूमि में से पक्षकारगण अपने मवेशी चराते है या सुखी लकडी ईंधन के लिए लाते है और मवेशी के लिए घास भी काटकर लाते है। जिन्स गिरदावरी में फसल गत दर्ज करी हुई है तो पटवारी लोगों ने पटवार खाने में बैठकर बिना देखें ही की जाती रही हैं। आज भी इस भूमि पर केवल वृक्ष ही है जिसमें ज्यादातर अंग्रेजी बम्बूल हैं। पेडो की सघनता की वजह से आवागमन भी मुश्किल से होता है। जमीन आबाद करने का जो कथन वाद पत्र में है वह पूर्णतः गलत एवं काल्पनिक हैं। आबाद करने के नाम पर इस भूमि के सीमा पर पक्षकारों ने कहीं पत्थरों की कोट, कहीं थौहर की बाड की बाउण्ड्री बना रखी हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

14. यह कि अपनी भूमि का पूर्ण उपयोग उपभोग करने में कोई अवैद्यानिक नहीं है। वादगत भूमि प्रतिवादीगण 1 से 6 के कब्जे खातेदारी अधिकारी की भी है जिस वजह से वादी या अन्य कोई इनके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादीगण 1 से 6 वादी या अन्य सहखातेदार को बेदखल नहीं कर रहे है सभी खातेदार अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर भुगत भोग कर रहे है। वादी के मन में नाजायज लाभ लेने का लालच पैदा हो गया है और इसी वजह से उसने यह गलत वाद किया हैं।
15. यह कि प्रतिवादीगण 1 से 6 का अपने खातेदारी की वादगत भूमि पर हमेशा कब्जा भुगत भोग रहा है, वर्तमान में भी हैं। प्रतिवादीगण 1 श्री रूकमण, 2 श्री प्रेमसिंह, 3 श्रीमती गुलाबकुंवर, 4 श्रीमती इन्द्रकुंवर ने अपने हिस्से को इस वाद की संस्थिति के पहले ही श्री कमलेश पिता शांतिलाल जैन निवासी सविना तह. गिर्वा को विक्रय कर कब्जा क्रेतागण को सौंप दिया है। वादी या अन्य प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण 1 से 6 के खातेदारी की भूमि के खातेदार नहीं हुए है, न हो ही सकते हैं।
16. यह कि प्रतिवादीगण 1 से 6 के पूर्वज स्व. श्री लक्ष्मणसिंह जी ने कभी भी वादगत भूमि में अपना स्वत्व नहीं होने का कथन नहीं किया हैं। विकल्प में यह भी निवेदन है कि कथन करने मात्र से कथन करने वाले का स्वामित्व समाप्त नहीं होता है उसे अपना स्वत्व अन्तरित करने के लिए विधि सम्मत् कोई न कोई अन्तरण पत्र निष्पादित करना ही पडता है। वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण 1 से 6 का इनके पूर्वज का कब्जा भुगत भोग रहा हैं। वादी को कोई नुकसान, क्षति नहीं होती हैं।
17. यह कि वादी को तारीख 18.03.14 ई. को या अन्य किसी दिन वाद हेतु पैदा नहीं होता हैं। धमकी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता हैं।
18. यह कि प्रतिवादीगण 20, 21 राजस्थान राज्य के अधिकारी, कर्मचारी है जिन्हे अपने वैधानिक कार्यो से ऐसे वाद से वंचित नहीं किया जा सकता है। इन्हे धारा 80 जा.दी. का नोटिस भी वादी ने नहीं दिया है इसलिए भी इनके खिलाफ कोई आदेश या डिक्री दी जाना सम्भव नहीं हैं।
19. यह कि वादी प्रतिवादीगण 1 से 6 के हिस्से को अपने एवं अन्य प्रतिवादीगण के खातेदारी ही होने की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। वादी प्रतिवादीगण 1 से 6 के खिलाफ उनके खातेदारी के उपयोग उपभोग में खिलाफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:48:06 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा भी जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। वादी का वाद मय खर्चा खारिज योग्य हैं।

20. **विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि** वादी ने लालच वश प्रतिवादीगण 1 से 6 की भूमि को बिना किसी अधिकार के अपनी खातेदारी की होने की एवं निषेधाज्ञा जारी कराने का यह वाद किया है जिस वजह से प्रतिवादीगण 1 से 6 वादी से धारा 35 बी जाब्ता दिवानी के अनुसार विशेष हर्जाना के रूपया 50,000/— पचास हजार रूपया प्राप्त करने के अधिकारी है जिसकी प्रतिवादीगण 1 से 6 मांग कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें और बतौर हर्जाना प्रतिवादीगण 1 से 6 को वादी से 50,000/— हर्जाना दिलाया जावें। ताईद में प्रतिवादी पनसिंह का शपथ पत्र पेश हैं।

21. **प्रतिवादी सं. 7 से 19 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि** हम प्रतिवादीगण भी अपने हक हिस्से की जायदाद पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 से 6 का कोई हक दखल अधिकार नहीं हैं। हम प्रतिवादीगण भी हमारे पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर काबिज है और हमारे से पहले हमारे पूर्वज काबिज हो काश्त करते आ रहे है और प्रतिवादी सं. 1 से 6 के मौरूस लछमनसिंह जी ने इस जमीन में उनका हिस्सा कब्जा नहीं होने का कथन राजस्व अधिकारियों के समक्ष किया है और उक्त कथन को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा जमीन हमारे मौरूस के नाम पर दर्ज करने का निवेदन किया गया था लेकिन जमीन हमारे मौरूस के नाम पर दर्ज नहीं की गई। जबकि गत 50 वर्षों से हम व हमारे पूर्वज इस जमीन पर खा कमा रहे है और हमारा ही कब्जा है। इसलिए हम प्रतिवादीगण भी इसे हिस्सेनुसार हमारे नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी हैं। हम प्रतिवादीगण भी अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज है और काश्त करते आ रहे है, प्रतिवादी सं. 1 से 6 का कोइ कब्जा नहीं है फिर भी प्रतिवादी सं. 1 से 6 हमारे कब्जे अधिकार में दखलन्दाजी कर जमीन को बेचना चाह रहे है इसलिए इनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हो गया हैं। अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार फरमा डिक्री फरमाया जावे एवं वाद पत्र में वर्णितानुसार हम प्रतिवादीगण को संयुक्त रूप से उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार मानते हुये एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर उन्हे पाबंद किया जावे जिसमें हमे कोई आपत्ति नहीं हैं।

22. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :—

1. आया वादग्रस्त भूमि में लक्ष्मणसिंह जी का कोई कब्जा नहीं था। राजस्व रेकार्ड में नाम हटाने के लिए सेटलमेन्ट अधिकारी को पत्र भी प्रेषित किया था, लेकिन नाम नहीं हटाया। लक्ष्मणसिंह जी के मरने के बाद भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज हो गई हैं, जबकि उक्त भूमि पर 50 वर्षों से कब्जा वादीगण का ही है। इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

.............वादीगण

2. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 6 के मौरूस लक्ष्मणसिंह जी के नाम पर दर्ज होकर कब्जा भी उन्ही का था, जो लक्ष्मणसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् विरासत से प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज हुई हैं। मौके पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने वाद से पूर्व ही अपने हिस्से की जमीन कमलेश पिता शांतिलाल जैन को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया हैं।

.............प्रतिवादी सं. 1 से 6

3. आया वादग्रस्त भूमि को वादी ने लालच वंश बिना किसी अधिकार के खातेदारी प्राप्त करने के लिए दावा किया हैं। जो खारिज योग्य होकर प्रतिवादी सं. 1 से 6 हर्जाना 50,000/— रूपये वादी से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

........प्रतिवादी सं. 1 से 6

4. दादरसी।

7. वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री देवीसिंह, पीडब्ल्यू 2 श्री नारायण, पीडब्ल्यू 3 श्री मेघा, पीडब्ल्यू 4 श्री सोहनसिंह का पेश किया। साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 1 देवीसिंह, पीडब्ल्यू 3 मेघा, पीडब्ल्यू 4 सोहनसिंह के बयान कलमबद्ध किये गये।

5. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज खाता सं. 176 नया की जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, एवं खाता सं. 177 की नकल प्रदर्श 2, सेटलमेन्ट नकल 1966 प्रदर्श 3, श्रीमान असीस्टे[illegible] सेटलमेन्ट अधिकारी उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.1[illegible] की नकल प्रदर्श 4 पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रतिवादी सं. 1 से 6 द्वारा अपने जवाबदावे के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्री पनसिंह, डीडब्ल्यू 2 श्री लालसिंह, डीडब्ल्यू 3 श्री रूकमणसिंह, डीडब्ल्यू 4 श्री कल्याणसिंह के शपथ पत्र पेश किये। साक्ष्य प्रतिवादी डीडब्ल्यू 1 श्री पनसिंह, डीडब्ल्यू 2 श्री लालसिंह, डीडब्ल्यू 3 श्री रूकमणसिंह, डीडब्ल्यू 4 श्री कल्याणसिंह के बयान कलमबद्ध किये गये।
7. प्रतिवादी सं. 1 से 6 द्वारा अपने जवाबदावें के समर्थन में दस्तावेज खसरा भूप्रबन्ध विभाग की नकल प्रदर्श ए1 पेश किये।
8. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावें में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

   1. आया वादग्रस्त भूमि में लक्ष्मणसिंह जी का कोई कब्जा नहीं था। राजस्व रेकार्ड में नाम हटाने के लिए सेटलमेन्ट अधिकारी को पत्र भी प्रेषित किया था, लेकिन नाम नहीं हटाया। लक्ष्मणसिंह जी के मरने के बाद भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज हो गई हैं, जबकि उक्त भूमि पर 50 वर्षों से कब्जा वादीगण का ही है। इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

      उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजात खाता सं. 176 नया की जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, एवं खाता सं. 177 की नकल प्रदर्श 2, सेटलमेन्ट नकल 1966 प्रदर्श 3, श्रीमान असीस्टेन्ट साहब सेटलमेन्ट अधिकारी उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.1967 की नकल प्रदर्श 4 पेश किये, परन्तु वादी उक्त दस्तावेजो से यह साबित नहीं करवा पाये है कि सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर खातेदार लक्ष्मणसिंह [illegible] हटाया गया हो। यह भी साबित नहीं हो पा रहा है कि वादी का [illegible] जमीन पर लगातार 50 वर्षों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:38:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा हो। अतः उक्त दस्तावेज से वादी उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

2. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 6 के मौरूस लक्ष्मणसिंह जी के नाम पर दर्ज होकर कब्जा भी उन्ही का था, जो लक्ष्मणसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् विरासत से प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज हुई हैं। मौके पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने वाद से पूर्व ही अपने हिस्से की जमीन कमलेश पिता शांतिलाल जैन को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी सं. 1 से 6 पर रहा। प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेज खसरा भू. प्रबन्ध विभाग की नकल प्रदर्श ए1 पेश किये। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 से 6 के मौरूस के नाम दर्ज थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1, 2, 3 से भी यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त जमीन पूर्व में लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज थी। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी सं. 1 से 6 अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी सं. 1 से 6 के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

3. आया वादग्रस्त भूमि को वादी ने लालच वंश बिना किसी अधिकार के खातेदारी प्राप्त करने के लिए दावा किया हैं। जो खारिज योग्य होकर प्रतिवादी सं. 1 से 6 हर्जाना 50,000/– रूपये वादी से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी सं. 1 से 6 पर रहा। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वादी द्वारा लालच वंश यह वाद प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी सं. 1 से 6 अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी सं. 1 से 6 के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

10. उपरौक्त विवेचन, तनकीवार निर्णयन, दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में नवलसिंह [illegible] नाथसिंह, लक्ष्मणसिंह, कानसिंह, डुलेसिंह, मानसिंह, दौल[illegible] के नाम दर्ज थी। जो दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श 3 एवं ए1 से स्पष्ट होता हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 19 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। मूल पुरूष नवलसिंह जी के वारिस लक्ष्मणसिंह, कानसिंह, डुलेसिंह, मानसिंह, दौलतसिंह थे। नवलसिंह जी की मृत्यु के बाद उक्त वादग्रस्त भूमि उनके वारिस पांचो पुत्रों के नाम विरासत से दर्ज हुई। लक्ष्मणसिंह के फौत होने से लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज भूमि विरासत से लक्ष्मणसिंह के वारिस भंवरसिंह, लालसिंह प्रतिवादी सं. 5, पनसिंह प्रतिवादी सं. 6 के नाम दर्ज हुई। जिसमें से भंवरसिंह के फौत होने पर भूमि विरासत से इनके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम दर्ज हुई। कानसिंह के फौत होने पर भूमि इनके वारिस प्रतिवादी सं. 7 के नाम दर्ज हुई। डुलेसिंह के फौत होने पर भूमि इनके वारिस प्रतिवादी सं. 8 से 11 के नाम दर्ज हुई। मानसिंह के फौत होने पर भूमि इनके वारिस प्रतिवादी सं. 12 से 16 के नाम दर्ज हुई। दौलतसिंह के फौत होने पर भूमि इनके वारिस प्रतिवादी सं. 17 से 19 के नाम दर्ज हुई।

11. अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस पेश कर वादी के वाद को स्वीकार कर लक्ष्मणसिंह के वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम दर्ज भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 17 से 19 को 1/4, प्रतिवादी सं. 7 को 1/4, प्रतिवादी सं. 8 से 11 को संयुक्त रूप से 1/4, प्रतिवादी सं. 12 से 16 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 6 द्वारा अपनी बहस में लक्ष्मणसिंह नवलसिंह जी की सन्तान होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् उनका हक होना बताकर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

12. अतः तनकीवार निष्कर्ष से प्रथम दृष्टया उक्त आराजी नम्बर 720, 722 पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 से 6 के मौरूस लक्ष्मणसिंह जी के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज थी। वादी द्वारा लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज भूमि को वादी व प्रतिवादी सं. 7 से 19 के नाम दर्ज किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया परन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि लक्ष्मणसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्कालीन अधिकारी द्वारा लक्ष्मणसिंह का नाम हटाया गया हो। चूंकि वादी द्वारा अपने वाद में स्वयं लक्ष्मणसिंह को नवलसिंह जी का पुत्र बताया हैं। अतः लक्ष्मणसिंह नवलसिंह की सन्तान होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लक्ष्मणसिंह का मौरूसी भूमि समान हक बनता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

हैं एवं वादी द्वारा अपने तथ्यों दस्तावेजों से यह भी साबित नहीं करवाया है कि खातेदार लक्ष्मणसिंह का नाम मूल पुरूष नवलसिंह के पांचों पुत्रों के बजाय चार पुत्रों के नाम ही भूमि किस आधार पर दर्ज की जाये, जबकि नवलसिंह के पांच पुत्र होना वादी ने स्वयं अपने वाद में स्वीकार किया हैं एवं वादी द्वारा ऐसा दस्तावेज भी पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि लक्ष्मणसिंह द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पंजीयन करवाया हो जिस आधार पर लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 से 19/इनके मौरूस के नाम दर्ज करना रह गया हो। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक भूमि में सभी सन्तानों का बराबर–बराबर हक माना गया हैं। वादी द्वारा तनकी नम्बर 1 को अपने पक्ष में साबित कराने में भी असफल रहे हैं।

13. वादी द्वारा अपने वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 22 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली को पक्षकार बनाया है परन्तु पक्षकार बनाने के लिए वादी ने धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है जबकि कानूनन जहां लोक सेवक को किसी वाद में पक्षकार बनाया जाता है तो वहॉ धारा 80 जा.दी. के तहत् नोटिस देना आवश्यक है।

14. वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर लगातार 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होने का कथन कर वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज किया जाने का निवेदन किया परन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे उनके 50 वर्ष के कब्जे के तथ्य को साबित किया जा सके। वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों ने भी वादग्रस्त भूमि को गैरकाबिल काश्त बताई हैं। अतः गैरकाबिल काश्त होने से उक्त भूमि पर कृषि नहीं की जा सकती हैं। इसी प्रकार प्रतिकूल/पुरानें कब्जे के आधार पर खातेदारी दिए जाने बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं। सिर्फ धारा 63 (1)(4) राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के प्रावधान ही हैं। **"आर.आर.टी. 2011 पेज 721 के वृहत्त पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान ही नहीं होना वर्णित किया गया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर. 14.06.2017 पेज 352 अनुसार इस**

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

ृप्रकार के प्रावधान नहीं होना माना हैं। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जें के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं'' उक्त नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं।

15. अतः उपरोक्त विवेचन, दस्तावेज, साक्ष्य सबूत एवं तनकीवार निष्कर्ष के आधार पर वादी वाद को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा हैं। अतः इस स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं तनकीवार निर्णय के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188,63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री देवीसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।

............वादी

बनाम्

1. श्री रूकमणसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी गोडवा तह. मावली।
2. श्री प्रेमसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी गोडवा तह. मावली।
3. श्रीमती गुलाबकुंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी पनसिंह राजपूत निवासी सुखेर तह. बडगांव।
4. श्रीमती ईन्द्राकुंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी खुमाणसिंह राजपूत निवासी झाला का गुडा तह. गिर्वा।
5. श्री लालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी गोडवा तह. मावली।
6. श्री पनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी गोडवा तह. मावली।
7. श्री भेरूसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
8. श्री तखतसिंह पिता डुलेसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
9. श्री केसरसिंह पिता डुलेसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
10. सोवनकुंवर पिता डुलेसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
11. मु. हमेरबाई बेवा डुलेसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
12. श्री मनोहरसिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
13. श्री गजेन्द्रसिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
14. गमेरकुंवर पुत्री मानसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
15. गोपीकुंवर पुत्री मानसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
16. श्रीमती मेहताबबाई पत्नी मानसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
17. श्री सोहनसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
18. श्री विजयसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested

19. श्री पृथ्वीसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी सियाडा का कुआ पोस्ट बिछडी तह. गिर्वा।
20. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।
21. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,63(1)(4) राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 83/14 (वाद) (GCMS–2014/00393)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188,63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.04.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested